गुरूघासीदास सेवादार संघ
स्थापना 2000
Gurughasidas Sevadar Sangh
समता, स्वतंत्रता, शिक्षा, सद्भाव व पीड़ित मानवता के पक्षधर कैडरबेस जनवादी संगठन
केन्द्रिय कार्यालय- L-165, देवरीखुर्द कॉलोनी,बिलासपुर (छ.ग.), 495004
मो. 9301802425, 9977937031, 9302575523
Email : mission.gss@gmail.com ● mohardas07@gmail.com

क्रमांक 8/2023 दिनांक 03/01/23

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर
द्वारा :– कलेक्टर जिला बिलासपुर

विषय :– छ.ग. राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग को 16 % आरक्षण प्रावधानित करने तथा इसकी पुष्टी हेतु 2022 की स्थिति में जनसंख्यीय आंकड़ा इकट्ठा करने के लिये क्वांटिफायबल डेटा आयोग के माध्यम से हेड काउण्ट कराने निम्नलिखित शर्तो के साथ सामाजि संगठनों का सहमति पत्र।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि प्रथमतः नीचे उल्लेखित तथ्यों को आधार मान कर मौजूदा आरक्षण अधिनियम 2022 जो कि विधान सभा से पारित होकर महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किया गया है के धारा 4 में संशोधन कर अजा वर्ग के समक्ष अंकित 13 % के स्थान पर 16 % आरक्षण किया जावे। उसके बाद ही राज्यपाल से हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किया जावे।

1. मान उच्च न्यायालय छ.ग. के आदेश दिनांक 19.09.2022 कमांक WRIT PITITION (C) No 591/2012 के द्वारा छ.ग. भासन की अधिसूचना कमांक F-13-14-2009/R.C./1-3,Raipur date 16-03-2012 को शून्य करार देने के बाद अनुसूचित जाति का पूर्व से प्रदत्त 16 प्रतिशत आरक्षण स्वयमेव लागू हो गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में वर्तमान आरक्षण अधिनियम 2022 में संशोधन करते हुए अजा वर्ग का आरक्षण 13 प्रतिशत की जगह पूर्ववत 16 प्रतिशत किया जावे।

2. यह कि वर्तमान आरक्षण विधेयक 2022 में जिन आंकडों को आधार माना गया है वह त्रुटि एवं पक्षपात पूर्ण है। जैसे अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्यीय आंकडा 2001 का लिया गया है। वही पर अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्यीय आंकडा 2011 का लिया गया है। वही पर अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) सवर्ण वर्ग का जनसंख्यीय आंकड़ा 2022 का लिया गया है। एक ही अधिनियम में अलग अलग वर्गो का आंकड़ा अलग अलग वर्षो को लिया जाना असंवैधानिक है। इस लिहाज से हेड काउंटिंग होते तक अजा वर्ग का आरक्षण 16 प्रतिशत संशोधन किया जावे।

यह कि आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय छ.ग. द्वारा 2022 के प्रोजेक्टेड आंकडों को आधार मानकर अ.पि.व. की हेड काउंटिंग में प्राप्त आंकड़ें को 42 प्रतिशत गणना की गई है। उसी प्रोजेक्टेड आंकडों में **अजा वर्ग की 2022 की स्थिति में संख्या 13.71 प्रतिशत** है जिसका आधार 2011 की जनगणना है। ज्ञातव्य हो किं 2016 में अ.पि.व. से निकालकर अजा वर्ग में शामिल की गई जातियां जिनकी संख्या डेढ़ से दो प्रतिशत है को उक्त गणना मे शामिल कर लिया जाय तो अजा वर्ग की वर्तमान संख्या 16 प्रतिशत के आसपास है। अतः इस तथ्य को आधार मानकर अजा वर्ग का आरक्षण संशोधन 16 प्रतिशत तत्काल किया जावे।

यह कि राज्य के लिये बंधनकारी है कि राज्य किसी वर्ग के लिये आरक्षण प्रावधानित करने के लिये उस वर्ग की वास्तविक संख्या का पता लगायगा। अतः अनुसूचित जाति वर्ग के

कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर
क्रमांक
दिनांक 3/1/23
छत्तीसगढ़

2022 की स्थिति में जनसंख्या का पता करने के लिये क्वांटिफायबल डेटा आयोग के माध्यम से हेड काउण्ट कराया जाकर संख्या का पता लगाने के लिये सामाजिक सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ंनी चाहिए।

चूंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न मंचों में यह बात कही गई है कि यदि अनुसूचित जाति समाज सहमत हो तो क्वांटिफायबल डेटा आयोग के माध्यम से हेड काउण्ट किया जायेगा उसके बाद जो आंकड़ा प्राप्त होगा उस आधार पर आरक्षण दिया जायगा।

अतः माननीय मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप क्वांटिफायबल डेटा आयोग के माध्यम से अजा वर्ग के हेड काउण्ट किये जाने हेतु यदि निम्नलिखित तथ्यों/शर्तों को ध्यान में रखा जावे तो छ.ग. के अनुसूचित जाति में शामिल समस्त जाति समाज के द्वारा हेड काउंटिंग हेतु सहमति दी जा रही है। इस तारतम्य में यह समाज भी इस आशय का सहमति पत्र जारी कर रहा है।

शर्तें :–

1. हेड काउंटिंग की प्रकिया प्रारम्भ करने से पूर्व उन सभी मानकों का घ्यान रखा जावे जो समय समय पर अपेक्स कोर्ट द्वारा आरक्षण एवं क्वांटिफायबल डेटा प्राप्त करने के विषय में पारित किये गये हैं, ताकि यह प्रकिया न्यायालयीन चुनौतियों से बाहर रहे।

2. अनुसूचित जाति की गणना के लिये बनाये जाने वाले क्वान्टिफाएबल डेटा आयोग का अध्यक्ष अनुसूचित जाति वर्ग का ही सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हो।

3 . अजा वर्ग की गणना के लिये गठन किये गये क्वान्टिफाएबल डाटा आयोग को निर्देशित किया जावे कि अधिकतम् 31 मार्च 2023 तक छ.ग. राज्य के समस्त अनुसूचित जाति वर्ग के हेड काउंड कर जनसंख्यीय आंकड़ा रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे।

4 . यथा संभव अजा वर्ग के ही काउंटिंग प्रगणक/सुपरवाइजर व जिला स्तर के नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति की जावे। उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही अन्य वर्ग के कर्मचारी अधिकारी की सेवा ली जावे।

5. मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक जिला कलेक्टर से हेड काउंटिंग की अद्यतन साप्ताहिक प्रगति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही इसकी साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट से अनुसूचित जाति समाज के जिम्मेदार पदाधिकारियों को भी अवगत कराने की व्यवस्था की जावे। इसके लिए प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया जावे कि उनके द्वारा ली जाने वाली साप्ताहिक TL मीटिंग में अनिवार्य रूप से इसकी समीक्षा हो।

6. इस आयोग का कार्य शासन के फ्लेग शिप में शामिल हो जिसकी साप्ताहिक समीक्षा कलेक्टर और आयोग के अध्यक्ष के द्वारा अनिवार्यतः किया जावे।

7. यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति मजदूरी करने या कोई अन्य कारण से अस्थाई रूप से अन्यत्र किसी शहर या ग्राम में विस्थापित हो गये हैं तो उनकी भी गणना शामिल करना सुनिश्चित किया जावे । ईसके लिए संबंधित ग्राम के सरपंच/ सचिव या अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा जानकारी प्राप्त कर उस ग्राम के लिए नियुक्त प्रगणक को नोट कराने की व्यवस्था हो।

6 Quantifiable data commission के सहयोग [illegible] लिया सचिव स्तर [illegible] state Observer एवं जिले स्तर के अधिकारी को District observer बनाया जाये तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार को आब्जर्वर की [illegible]दारी दी जावे।

7 अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक संगठनो के प्रतिनिधियो की निगरानी समिति [illegible] जावे जो राज्य [illegible] जिला और विकासखड स्तर पर हेड [illegible]टिंग के कार्य की निगरानी कर सके ताकि समय सीमा मे हेड काउटिंग का कार्य पूरा किया [illegible] आयोग द्वारा रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

8 क्वान्टिफायबल डेटा प्राप्त करने के लिये बनाए जाने वाले [illegible]वेयर / पोर्टल या मोबाइल एप मे सरलीकरण करते हुए आवश्यक सुधार किया जावे जिसमे सिपाही के मोबाइल मे [illegible] भेजने का प्रावधान न होकर सीधे निधारित प्रारूप मे परिवार [illegible] एंट्री किया जाकर गणना की जावे।

अतः पुनः निवेदन है कि विशाल अनुसूचित जाति [illegible] की जनभावना तथा उपरोक्त तथ्यों को ध्यान रखते हुए हेड काउंट किये जाने तक [illegible] वर्ग को 16 प्रतिशत आरक्षण दिया जावे। तपश्चात इसकी पुष्टी के लिये उपरोक्त शर्तों के साथ हेड काउंट कराने सहमति पत्र सादर प्रस्तुत है।

प्रतिलिपि – सर्व अनुसूचित जाति महासभा छत्तीसगढ को [illegible] हेतु प्रेषित

भवदीय

अनुसूचित जाति [illegible]

आवेदक

अजय अनंत

[केन्द्रीय सचिव GSS]